

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-19/2013-195 (आवंटन)/कृ0, पटना, दिनांक 04/12/2013

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय:

कृषि रोड मैप के अधीन फसलों के प्रमाणित बीज पर अनुदान कार्यक्रम का वर्ष 2013-14 में ₹4508.25 लाख (पैंतालीस करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार रु०) की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए स्वीकृति हेतु अवशेष राशि में से तत्काल ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹7,00,000 (सात लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5838 दिनांक-27.11.2013 द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन फसलों के प्रमाणित बीज पर अनुदान कार्यक्रम का वर्ष 2013-14 में ₹4508.25 लाख (पैंतालीस करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार रु०) की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए स्वीकृति हेतु अवशेष राशि में से तत्काल ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹7,00,000 (सात लाख रुपये) मात्र आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹7,00,000 (सात लाख रुपये) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-796-जनजातीये क्षेत्र उप योजना-माँग संख्या-1-उपशीर्ष-0140-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 15, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल उपबंधित ₹60.00 (साठ) लाख में से विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में उपबंधित ₹45.00 (पैंतालिस) लाख से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० दिनांक-31.07.2013 के आलोक में आवंटित है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

रामजी सिंह

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)

(रामजी सिंह)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

195 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 04-12-2013

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक


195 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 04-12-2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0 बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रांकुंविंविं, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिंकुंविंविं, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना), बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप कृषि निदेशक, (प्रक्षेत्र)/उप कृषि निदेशक, (बीज) बिहार पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक (सूचना)/ आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव।